



आदेश की तिथि ●	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30-01-2024	<p style="text-align: center;"><u>वाद सं०-०१/२०२४</u></p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री मुस्कान गोप, ग्राम-आमकुली, पो०+पं०-ओलमुण्डा, थाना-सिसई, जिला-गुमला अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि श्री सुशिल कंडिर, पणन पदाधिकारी, गुमला उपस्थित।</p> <p>सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि आयोग में उपस्थित होकर अपना विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित कर रहे हैं। प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता के आवेदन के बाद शिकायतकर्ता की शिकायतें दूर कर दी गई हैं। इस आशय का प्रमाण आयोग को भेजा गया है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन की एक प्रति शिकायतकर्ता को भेजने का निर्देश देता है। आयोग शिकायतकर्ता को निदेश देता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन के विरुद्ध यदि अपना पक्ष रखना हो तो आयोग के समक्ष रख सकते हैं।</p> <p>मामले की अगली सुनवाई दिनांक-28.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक-28.02.2024 को रखें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"><div data-bbox="331 1139 612 1338" style="text-align: center;"> (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</div><div data-bbox="854 1139 1193 1360" style="text-align: center;"> (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</div></div>	